राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

"वित भवन" जनपथ, जयपुर–302015

(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ.3 (ख) (के–157/94)/अलेसे–II/ 312-15 दिनांक :–9.6.22

श्री कैलाश चन्द पगारिया,
सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II,
कार्यालय उप कोषाधिकारी,
कोष एवं लेखा विभाग मावली, उदयपुर।

विषयः– नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने बाबत्।

प्रसंगः– निदेशालय का पत्र कमांक 224–26 दिनांक 25.05.2022

आपके पत्र दिनांक 05.05.2022 के कम में निदेशालय के पत्र कमांक 224–26 दिनांक 25.05.2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 28.04.2022 के बिन्दु संख्या 6 के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए निर्देशित किया गया था कि विभागीय आदेश दिनांक 11.04.2022 की पालना सुनिश्चित करें। विभागीय आदेश कमांक 38 (आदेश संख्या 106/22–23) दिनांक 11.04.2022 के द्वारा आपका स्थानान्तरण कार्यालय उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग मावली, उदयपुर से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, देलवाडा (राजसमंद) में किया गया था परंतु उक्त आदेश की पालना दिनांक 25.05.2022 से स्थिति स्पष्ट करने के बावजूद आपके द्वारा आदिनांक तक भी नहीं की गई है, जो कि राजकीय आदेशों की घोर अवहेलना है।
अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण की रिपोर्ट तत्काल प्रेषित करें अन्यथा आप द्वारा राजकीय आदेशो की स्पष्ट अवहेलना करने के कारण सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही आरंभ कर दी जायेगी।

(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

क्रमांकः– एफ.3 (ख) (के–157/94)/अलेसे–II/ 312-15 दिनांक :– 9.6.22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग मावली, उदयपुर।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, देलवाडा (राजसमंद)।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)

D:\sas-ii\seema ji/Simple Letter 904